## Demands of (be All India Kendriya Vldyalaya Teachers' Association

Oral Answers

## \*107. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU: SHRI ASHOK NATH VERMA :†

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether he has received a copy of the open letter to the Prime Minister written by the General Secretary, All Inida Kendriya Vidyalaya Teachers' Association;

(b) if so, what are the details of the issues raised therein; and

(c) what is the stand of Government on each of these issues?

THE MINISTER OF HUMAN RE-SOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Besides some references to routine administrative matters, the letter speaks of non-implementation of Joint Consultative Machinery and of the recommendations of Chattopadhyay Commission. It also refers to non-represe" tion of employees on the Kendriya Vidyalaya Sangathan and its Board of Governors. There is mention of resort to constitutional agitation if the grievances are not redressed. While Government have taken decisions on the recommendations of the Chattopadhyay Commission, the Government is always prepared to discuss with the employees any genuine grievance so that reasonable solution could be arrived at.

श्री ग्रलोब नाथ वर्मा : सभापति महोदय, केन्द्रीय बिद्यांलय शिक्षक संघ ने प्रधान मंत्रीजी को जे; मेमोरेंडम भेजा है, उसमें उनकी शिकायत यह है कि बोर्ड ग्रॉफ गवर्नर्स में एडहॉक ग्रपाइंटमेंट्स होते हैं ग्रीर उन्हें सही प्रतिनिधित्य नहीं मिलता है । इस संदभ में, मैं यह जानना चाहंगा कि क्या ग्रपाइंटमेंट्स होते समय

†The question was actually asked an the floor of the House by Shri Ashok Nath Verma. केन्द्रीय विद्यालय भिक्षक संघ से बात की जाती है? ग्रगर नहीं की जाती है तो क्यों नहीं की जाती है ग्रौर इस बारे में सरकार की क्या राय है?

श्री अर्जन सिंह : ग्रादरणीय सभापति महोटय, यदि सम्माननीय सदस्य का तात्पर्यं शिक्षकों के प्रतिनिधियों से है तो उसका एक दूसरा उत्तर है । अगर क्रापका तात्पर्य डायरेक्टर्स के अपाइंटमेंट्स से है तो उसके लिए तो शिक्षकों से पूछने का प्रश्न नहीं उठता, लेकिन जेव्सीवएमव में शिक्षकों को प्रतिनिधित्व देने का प्रश्न जरूर ग्रभी उलझा हुन्ना है । उसका एक कारण यह है कि जो शिक्षक संगठन है, उन संगठनों में विभाजित मत है । उसकी वजह से उस प्रतिनिधित्व को पूरा नहीं किया जा सका है । मैं माननीय सदस्य को आण्ध्वस्त करना चाहुंगा कि हमारा यह प्रयास है कि जिस प्रकार से भी कोई एक रास्ता निकले । जे०सी०एम० में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व होना इस संगठन के सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है और उसे प्ररा करने की कोशिश करूंगा।

श्री ग्रलोक नाथ वर्सा: सभापति महोदय, विवाद के जो मसले फ्रिक्षक संघ, बोर्ड ग्राफ डायरेक्टर्स में हैं, उन मसलों को जल्द-से-जल्द युलझाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं । मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि इस बारे में सरफार की स्था नौति है ग्रौंर कब तक द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है ?

श्री अर्जुन सिंह : ग्रादरणीय नभापति उहोदय, जहां तक वार्ता का प्रश्न है, एक तो जे०सी०एम० एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से इस प्रकार के विषय सामने ग्राते हैं, उन पर विचार होता है श्रीर फैसले होते हैं । यदि द्विपक्षीय का मतलब यह है कि मुझे बात करनी चाहिए तो में ग्रापको यह सूचित करूंगा कि इनका प्रतिनिधि मंडल पिछले 6 प्रगस्त को मुझे मिला था ग्रीर मैने उनसे यह कहा है कि पालियामेंट का सेशन समाप्त होने के बाद मुझे आया समय मिल सकेगा ग्रीर पुनः उन सौगों से चर्चा करूंगा । श्रीमती सरसा माहेक्वरीः सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय की प्रतिक्रिया ग्रीर उनका उत्तर काफी सकारात्मक है, लेकिन कागजों में सकारात्मक उत्तर के बावजूद कार्य पक्ष

सकारात्मक है, लेकिन कागजों में सकारात्मक उत्तर के बावजूद कार्य पक्ष हमेशा उदासीन और नकारात्मक रहा है। केन्द्रीय संगठन के संबंध में, केन्द्रीय संस्थान के संबंध में श्रौर विद्यालयों के संबंध में एक लंबे श्ररसे से उनकी मांगें उपेक्षित हैं।

श्री सभापतिः उन्होंने कहा कि बातचीत करेंगे ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : सभापात महोदय, कब बात करेंगे क्योंकि द्विपक्षीय वार्ता की मांग कब से चल रही है ।

श्री सभापतिः उन्होंने कहा कि सेफल खत्म होने के बाद।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : सभापति महोदय, इस विषय में मंत्रीजी से जानना चाहुंगी कि ब्राखिर क्या बात है कि उनकी तमाम मांगें, जिनका कि ग्राधिक पक्ष नहीं है, ग्राधिक पक्ष गौण है, सिर्फ एक सरकारी नोटिफिकेशन से बहत-सी मांगों को मान्य किया जा सकता हैं। महोदय, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने सिद्धांत तौर पर इस बात को स्वीकार किया था कि शासी मंडल और केन्द्रीय संस्थान में इन शिक्षकों को प्रतिनिधित्व दिया जाए इसके बावजुद झाज तक इस पक्ष पर अपल करने में क्या दिक्कत आ रही है, मैं यह समझ नहीं पा रही हं। इसलिए में चाहंगी कि मंत्री महोदय कोई संतोषण नक उत्तर दें ताकि हमें समझ में श्राए कि व्यावहारिक दिक्कतें क्या है । अगर व्यावहारिक दिक्कतें हैं तो वे शिक्षक संगठनों को बुलाकर क्यों नहीं बात कर रहे ?

श्री सर्जुन सिंह : ग्रादरणीय सभापति महोदय, मुझे इस वात का बहुत संतोष है कि मादरणीय सदस्या ने कम-से-कम सकारात्मक रख को स्वीकार किया। वह सकारात्मक रख परिणामों में परिभत हो, इसमें हमें भाषकी भी सहायता की जरूरत है और इन शिक्षक संस्थानों की भी संहायता की जरूरत है। कोई भी दिवकत नहीं है मिलकर बात करने में । श्रादरणीय श्रध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के बहुत पक्ष में नहीं हूं कि पहले सैद्वातिक निणय ले लिया जाय और फिर उसका इल ढूंढा जाय कि इस निर्णय को कैसे कार्य रूप में परिणत करना है । सबसे पहले, निर्णय करने के बाब क्या परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, उन पर विचार होना चाहिए, उन पर विस्तार से फैसला होना चाहिए ग्रौर फिर उसको सामने लाकर करना चाहिए बजाय इसके कि सैद्धांतिक निर्णय के ले क्रौर उसके इपमल में आने वाली जो दिक्कतें हैं उनके बारे में हम अनभिज्ञ रहे ।

श्रीमसी सरसामाहेग्वरी : जाहिर है कि निर्णय लेने के दौरान बात करेंगे । इसमें दिक्कतें आनी हैं । बिना दिक्कतों के समझौता ग्वीकार करना सिद्धत रूप में ... (भ्यवधान)

श्री समापति : ग्राप दिवकतों के बारे में कास करिए ।

श्रीमती सरला माहेश्वरों : सर, मेरा आशय सिर्फ यह या कि राष्ट्रीय मौर्चा सरकार ने सैद्धांतिक निर्णय लिया था । तो जाहिर है कि उसने, इसके पक्ष-विपक्ष क्या हो संकते हैं या सकारात्मक-नकारात्मक पक्ष क्या हो सकते हैं, इसको विचार करके निर्णय लिया। अब क्रापकी सरकार या तो उसकी पूनः परक्षा करे, जो कि आम तौर पर सरकारें किया करती हैं । यह उनकी इतने लंबे ब्रसें से चली ग्रा रही मांगें हैं और केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों के वेतनमानों में अंतर है, दिल्ली में ग्रलग है तो दूसरी जगह अलग है, जगह-जगह द्वंतर हैं । इसलिए मैं जानना चाहुंगी ग्राप इन मांगों पर गंभीरता से विचार करें ग्रीर जल्दी से जल्दी उनकी मांगों के ऊपर ध्यान दें । इसके लिए जल्दी से जल्दी झाप एक बैठक बुलाएँ धौर क्षा तथाम मांगों पर विचार ₩t i

**সী স্কর্জন सिन्न**ः श्रादरणीय सभापति महोदय, मैं किसी शासन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता था। मैंने तो अपने दष्टिकोण का परिचय दिया । किसने नेया किया? उन्होंने बहत ग्रच्छा किया, अच्छा ही किया होगा। यह बात मैं मानकर चलता हूं। यहां तक इन लोगों से बैठकर बात करने का सवाल है, मैं पहने ही सदन को स्चित कर चुका हूं कि सेशन के बाद मैंने उन लोगों में कहा है कि हम उनको बुताकर, बैठकर बात करेंगे और जो विषय निर्णय के लिए है. उन पर क्या निर्णय श्रच्छे से ग्रच्छे नरीके से हो सकता है, हम उसमें सागे बढेंगे ।

Oral Answers

SHRI SARADA MOHANTY; Mr. Chairman, Sir, I want to know from the Minister whether teachers have been transferred to place's where there are no vacancies. There is a demand from the teachers association that this may be revoked. I want to know from the Minister whether the Government is going to accept the demand made by the association.

SHRI ARJUN SINGH: Sir, on the question of transfer, there fe a guideline. Ji any particular case is brought to me, then, I will certainly look into it and se<sup>®</sup> that justice is done. If any special treatment is required Hut will also ba done.

श्री सत्यप्रकाश भालवीय : माननीय सभापति जी, ब्रध्यापकों के महासचिव ने जो अपना खुला पव दिया था, उममें चट्टोपाध्याय कमीशन की जो सिफारिकें थीं और जिसके संबंध में आपने कहा है कि निर्णय लिया गया है तो उन निर्णयों के संबंध में कुछ विसंगतियों की बोर भी ध्यान आकर्षित किया था, उस संबंध में मेरा प्रश्न यह है कि जिन विसंगतियों की बोर खुने पत में ध्यान ब्राकींग्त किया गया है, उस पर सरकार का क्या विचार है ब्रौर क्या उन विसंगतियों मे सरकार सहमत है?

भी अर्जुन सिंह सर, मैं सुन नहीं पाया । मालवीय जी, क्रुपा करें ।

श्रीसत्य प्रकाश मालवीयः मेरा प्रश्न यह है कि जो खुलां पत्न दिया है ग्रच्यापकों के महासचिव ने प्रधान मंत्री जी को और जिसकी प्रतिलिपि आपके पास भी भेजी गई है, जो डी०पी० चट्टोपाध्याय कमीशन रिपोर्ट है उसकी सिफारिशों को लागू करने के संबंध में न्नापने यह सब दिया है कि सरकार ने निर्णय ले लिया है, यानी जो निर्णय लिए गए हैं पहले के भी ग्रौर बाद के भी, उनकी म्रोर ध्यान म्रार्कीवत किया गया है कि इनमें कुछ विसंगतियां हैं । मैं उन विसंगतियों के संबंध में जानना चाहता हं कि सरकार की क्या प्रक्रिया है? क्या रुख है? झौर, कब तक उनके संबंध में सरकार निर्णय ੇ लेगी ?

श्री धर्जन सिंह : आदरणीय सभापति महोदय, एक निर्णय लेने के बाद ዥው नए तथ्य भी सामने ग्राते हैं, कहीं विसंगतियां भी सामने आती हैं । मुल रूप से इस पर निर्णय हो चका है, लेकिन यदि कोई विसंगतियां हैं, जिसका प्रभाव संगठन के संचालन में या ग्रध्यापकों के ऊपर पडता है तो उन विसंगतियों पर विचार करना में -आवष्ट्रयक ा⊢जरूर विचार समझता हं किया जाएगा ।

श्री संघ प्रिय गौराम । **मान्यव**र सभापति महोदय, केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों की समस्याग्रों का समाधान तो श्रत्यावश्यक है ही, <sup>हे</sup>किन शिक्षकों द्वारा राज्य-ग्रादेशों व संवैधानिक प्रावधानों का क्रियान्वयन भी ग्रत्यावश्यक है । हो यह रहा है कि छोटे-छोटे कस्वों में या जिन शहरों में जहां पर केन्द्रीय विद्यालय हैं, वहां पर सरकारी कर्मचारी ग्रनसचित जातियों के कम हैं और उनके बच्चें भी कम हैं। उन शहरों में इन जाति के कूछ बच्चे दाखिला लेगे जाते हैं, `किन ग्रनुसूचित जाति के बच्चों को वाखिला नहीं मिलता ।

20

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बया इस तरह के निर्देशन इन न्दियालयों को ग्रौर क्रध्यापकों को जारी किये जायेंगे कि वे ग्रारक्षण नीति का भी अनुसूचित जातियों के बच्चों को दाखिले में सख्ती से प्रनुपालन करें ?

श्री क्रर्जुन सिंह : यह तो कोई एतराज की बात ही नहीं ।' श्रगर कहीं ऐना नहीं हो रहा है, तो उसे निश्चित रूप से किया आएगा .

\*108. [The questioners (Shri Chattu-ranan Mishra and Shri Jagadish Jani) were absent. For answer vide col, 41-42 infra].

\*109. [The questioner {Shri Harvendra Singh Hanspal) was absent. For answer, vide col. 42-43 infra].

SHRI PRAGADA KOTAIAH; Sir, I put the question.

MR. CHAIRMAN: You cannot put the question on behalf of somebodyelse.

## चुनावों में इलैक्ट्रोनिक बंत्रों का प्रयोग

\*110. श्री क्रजीत कोगी : \* कुमारी क्रालिया :

क्या **विधि, न्याय और फम्पनी** आर्थ मंत्री यह बताने की कुपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चुनावों में होने वाले व्यय में कमी करने के लिए चुनावों में इलैक्ट्रोनिक-यंत्रों का प्रयोग ग्रारम्भ करने के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं; (ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है झौर क्या इस संबंध में कोई कार्य-योजना बनाई गई है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

to Question

(ग) निर्वाचन-क्रायोग के पास कितने इलैक्ट्रोनिक-यंत्र हैं झौर इन पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ; झौर

(घ) निर्वाचन क्रायोग ने इन यंत्नों का ग्रब तक कितनी बार प्रयोग किया है?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AF-FAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RANGARAJAN KUMARA-MANGALAM): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Representation of the People Act, 1951, has been amended *by* inserting section 61A enabling the use of electronic machines. The design of the electronic voting machines was finalised and two public sector undertakings have already started producing machines. So far, 1,50,444 machines have been acquired at a cost of around Rs. I 75.25 crores. These machines have been distributed among the State Governments and the Union Territories.

It is proposed to use the electronic voting machines in all bye-elections and countermanded election<sub>s</sub> which may be held after 1st October, 1991. It is expected that after five years, these machines will be used in all elections.

(d) A statement is placed on the Table of the House.

<sup>†</sup>The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ajit P. K. Jogi.